इकाई 4 राष्ट्रीय नियम एवं दिशानिर्देश

संरचना

4.0 प्रस्तावना

4.1 उद्देश्य

4.2 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के लिए आवेदन

4.3 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के स्टेकहोल्डर्स

4.4 स्टेकहोल्डर्स के कर्तव्य

- 4.4.1 उपभोक्ता के कर्तव्य
- 4.4.2 सार्वजानिक जैवचिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा केंद्र के कर्तव्य
- 4.4.3 पर्यावरण वन मंत्रालय एवं क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार के कर्तव्य
- 4.4.4 प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य
- 4.4.5 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य
- 4.4.6 नगरपालिका/नगर पंचायत, एवं ग्राम पंचायत के कर्तव्य
- 4.4.7 रक्षा मंत्रालय के कर्तव्य

4.5 बोध प्रश्न 1

4.6 उपचार एवं निस्तारण

4.7 पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन एवं संग्रहण

4.8 प्राधिकरण

4.9 एडवाइसरी समिति

4.10 इंसीनिरेटर से उत्सर्जक के मानक

4.11 सार्वजनिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केंद्र के लिए साइट

4.12 कार्यान्वयन की निगरानी

4.13 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियमों में संशोधन

4.14 बोध प्रश्न 2

4.15 सारांश

4.16 प्रमुख शब्द

4.17 संदर्भ और सुझाव रीडिंग

4.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 प्रस्तावना

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1986 में पारित अधिनियम के अनुसार और जुलाई 1998 में अधिसूचित बायो मेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमों के अनुसार प्रत्येक 'अधिभोक्ता' का कर्तव्य है कि वह अपने स्वास्थ्य सेवी संस्था से उत्पादित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सही प्रबंधन करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वह से उत्पादित बायोमेडिकल अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव न डाले

28 मार्च 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गजट अधिसूचित नोटिफिकेशन के अनुसार सभी स्वास्थ्य सेवी सुविधाओं को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अपनाना अनिवार्य है और उत्पादित बायोमेडिकल वेस्ट को पृथक्कृत एवं पूर्व-उपचारित कर, 75 किलोमीटर के अंदर स्तिथ अथवा निकट स्तिथ सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा केंद्र को भेजना अनिवार्य है

4.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न जानकारी इकठ्ठा कर सकते हैं:

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के लिए आवेदन
- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के स्टेकहोल्डर्स
- स्टेकहोल्डर्स के कर्तव्य
- उपचार एवं निस्तारण
- पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन एवं संग्रहण
- प्राधिकरण
- एडवाइसरी समिति
- इंसीनिरेटर से उत्सर्जक के मानक
- सार्वजनिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केंद्र के लिए साइट
- कार्यान्वयन की निगरानी
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियमों में संशोधन

4.2 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के लिए आवेदन

ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होते हैं जो अपशिष्ट को उत्पादित, ग्रहण, एकत्रित, परिवहन, उपचार, निस्तारण अथवा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तारण करने वाले कोई भी संस्था, अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशुचिकित्सालय, एनीमल हाउस, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, क्लीनिकल संस्थाएं, शोध अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, हेल्थ कैम्प्स, मेडिकल अथवा सर्जिकल शिविर, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, स्कूल में प्राथमिक उपचार कक्ष, न्यायिक चिकित्सा (फॉरेंसिक) प्रयोगशाला एवं शोध प्रयोगशाला।

4.3 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के स्टेकहोल्डर्स

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इस प्रावधान में आने वाले मुख्य स्टेकहोल्डर्स निम्न प्रकार हैः

उपभोक्ता- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले मुख्य स्टेकहोल्डर्स अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशुचिकित्सालय, एनीमल हाउस, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, क्लीनिकल संस्थाएं, शोध अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, हेल्थ कैम्प्स, मेडिकल अथवा सर्जिकल शिविर, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, स्कूल में प्राथमिक उपचार कक्ष, न्यायिक चिकित्सा (फॉरेंसिक) प्रयोगशाला एवं शोध प्रयोगशाला

संचालक- सामूहिक अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र- एकत्रण, ग्रहण, संग्रहण, परिवहन, निस्तारण एवं किसी अन्य प्रकार से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तांतरण

निर्धारित प्राधिकरण- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशुपालन एवं डेरी मंत्रालय/विभाग, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रादेशिक एवं केंद्र शाषित स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत

4.4 स्टेकहोल्डर्स के कर्तव्य

4.4.1 उपभोक्ता के कर्तव्य

प्रबंधन	• इन नियमों के अनुसारय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव किए बिना जैव चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तांतरण करना • बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार दिए गए कलर कोडेड बेग अथवा कंटेनर में बायोमेडिकल अपशिष्ट का पृथक्करण • क्लोरिनेटेड प्लास्टिक एवं दस्तानों (ब्लड बैग्स को छोड़कर) को 27 मार्च, 2019 तक हटाना • बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधि की समीक्षा और निगरानी करना • दुर्घटना की रिपोर्ट करना
अपशिष्ट का एकत्रण	• परिसर के अंदर ही एक सुरक्षित, हवादार स्थान का प्रावधान जिसमें पृथक्कृत एवं विसंक्रमित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का भण्डारण
स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा	• सभी स्वास्थ्यकर्मियों की बीमारियों के संक्रमण से सुरक्षा हेतु, उनका हिपेटाइटिस एवं टिटनिस सहित सभी जरूरी टीकाकरण • ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को सुनिश्चित करना तथा सभी कर्मियों को ब्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना • प्रवेशन के दौरान ही सभी कर्मियों का हेल्थ चेक-उप करना

बार कोडिंग	• 27 मार्च 2019 तक सी पी सी बी गाइडलाइन्स के अंतर्गत सभी बायोमेडिकल अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु बेग अथवा कंटेनर्स में बार कोड सिस्टम डालना
वेस्टवाटर का प्रबंधन	• सामान्य लिक्विड अपशिष्ट में लिक्विड केमिकल अपशिष्ट को मिश्रित करने से पहले उसका स्रोत पर ही पृथक्करण और उसके पूर्व-उपचार अथवा उदासीन करना • लिक्विड वेस्ट का उपचार एवं निस्तारण वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलूशन) एक्ट, 1974 के तहत करना
मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं डाटा कलेक्शन	• मार्च 2020 तक इसकी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट को उपलब्ध कराना • सुविधा केंद्र द्वारा अपशिष्ट के एकत्रण न करने पर प्राधिकृत अधिकारी को तुरंत सूचना प्रदान करना • जांच एवं समीक्षा के लिए सिस्टम बनाना तथा रिकॉर्ड की देख-रेख करना • शिड्यूल-II में दिए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन के आधार पर इन-हाउस इंसीनिरेटर का संचालन करना • बी एम् डब्लू एम् नियम, 2016 के अनुसार, पृथक्कृत अथवा पूर्वउपचारित अपशिष्ट को 75 किलोमीटर के अंदर स्तिथ सी बी डब्लू टी एफ को देना • पांच साल तक रिकॉर्ड की देख-रेख करना
उत्सर्जन	• मौजूदा इंसीनिरेटर में अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु, अधिसूचना की तारीख से 2 साल के अंदर, शेड्यूल II में निर्दिष्ट जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के मानकों को प्राप्त करने के लिए सेकेंडरी चेंबर में रिटेंशन टाइम एवं डाइऑक्सिन एवं फेयूरोन्स के मानकों का अनुगमन करना।

4.4.2 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र के कर्तव्य

अपशिष्ट का मार्ग	• जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के एकत्रण के समय यह सुनिश्चित यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रतिकूल प्रभाव के बिना, परिवहन, हस्तांतरण, संग्रहीत, उपचारित और निपटान किया जाता है • इन नियमों के तहत निर्धारित अधिभोक्ता से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का समय पर संग्रहण को सुनिश्चित करना • इन नियमों के अनुसार अधिभोक्ता द्वारा पृथक्कृत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट न देने पर सम्बंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें

	• बायोमेडिकल कचरे के संग्रहण को छुट्टी के दिन भी सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा एकत्रण को सुनिश्चित करना
बार कोडिंग	• एक साल के भीतर जैव चिकित्सा अपशिष्ट से निपटने के लिए बार कोडिंग और वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम को स्थापित करना
प्रशिक्षण	• जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को हस्तांतरित करने वाले सभी कर्मचारियों को अपशिष्ट के हस्तांतरण एवं निपटान के बारे में वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करना • जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अधिभोगियों की सहायता करना
स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा	• सभी स्वास्थ्यकर्मियों की बीमारियों के संक्रमण से सुरक्षा हेतु, उनका हिपेटाइटिस एवं टिटनिस सहित सभी जरूरी टीकाकरण • ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को सुनिश्चित करना तथा सभी कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना • प्रवेशन के दौरान तथा साल में कम से कम एक बार सभी कर्मियों का हेल्थ चेक-उप करना • बायोमेडिकल की हैंडलिंग के दौरान आग के खतरों, विस्फोटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं सहित प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करें, निवारण प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड, (शून्य रिपोर्ट सहित) का उपयुक्त फॉर्म में निर्धारित प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करना
अपशिष्ट का उपचार	• अधिभोक्ता को अनुमति प्रदान करना कि संचालक को उपचार के लिए दिए गए अपशिष्ट का परीक्षण करने कि अनुमति • म्यूटिलेशन या श्रेडिंग के बाद आटोक्लेव या माइक्रोवाइंग द्वारा उपचार सुनिश्चित होने के बाद उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक और कांच को पुनः चक्रण हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत अथवा पंजीकृत रिसाइकिलर को दिया जाएगा • अधिभोक्ता से नॉन-किलोरिनेटिड प्लास्टिक बैग का चार्ज लेना
रिकॉर्ड मेंटेन	• रिकॉर्ड को मेंटेन करना • प्राधिकरण, उपचार, वार्षिक रिपोर्ट आदि के बारे में वेबसाइट पर विस्तृत सूचना प्रदान करना • नोटिफिकेशन कि तारीख से 2 साल के भीतर रिटेंशन टाइम तथा डाइऑक्सिन एवं फुरेन्स के स्टेंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए मौजूदा इंसीनिरेटर को अपग्रेड करना

4.4.3 प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य

• अधिभोक्ता के अपशिष्ट उत्पादन की विस्तृत सूची तैयार करना तथा जैवचिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन, उपचार एवं निस्तारण के आंकड़े का रिकॉर्ड रखना • आंकड़े का एकत्रण कर, उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिए गए समय के अंदर जमा करना	इन नियमों के अंदर प्राधिकरण का रिन्यूअल, सस्पेंशन अथवा रेफ्युसल कैंसलेशन करना अथवा प्रदान करना विभिन्न अनुपालन और शर्तों का नियंत्रण एवं अनुपालन करना इन नियमों के उल्लंघन करने पर स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं अथवा सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र के विरुद्ध कार्यवाही करना
• स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं अथवा सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्टाफ अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति के स्टाफ के लिए अपशिष्ट के पृथक्करण, एकत्रण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना • जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऑपेरशनल रिसर्च करना अथवा रिसर्च में सहायता करना	• सलाहकार समिति की अनुरोध का कार्यान्वयन करना • पंजीकृत या अधिकृत रिसाइकिलर की सूची प्रदान करना • समय समय पर इन नियमों के अंतर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य कार्य को करना • उस राज्य के सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र का ऑडिट करना अथवा थर्ड पार्टी ऑडिट को समर्थन करना

4.4.4 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्तव्य

• जब भी आवश्यक हो देश में बायो-मेडिकल कचरे के प्रबंधन हेतु से संबंधित नीतियां बनाना और उनमे संशोधन करना • प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पर जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना • नियमों के कार्यान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन करना	• सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा केंद्र के उन्नयन या स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना • जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, पहले से ज्ञात डिस्पोसेबल एवं नए प्रकार के उपकरणों के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम का मूल्यांकन करना तथा इसके संदर्भ में ऑपरेशनल रिसर्च करना अथवा उसका समर्थन करना

• निर्धारित अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फॉर्म-५ में अपील करना और सुनवाई में निर्णय लेना • प्रशिक्षकों के लिए मानक मैनुअल विकसित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना	• अनुसूची–I में सूचीबद्ध अपशिष्ट के अलावा जैव चिकित्सा के उपचार के लिए नई प्रौद्योगीकियों के लिए मानकों या परिचालन मापदंडों को सूचित करें। • नियामक अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवी सुविधाओं के लिए जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जन जागरूकता अभियानों का प्रायोजन करना

4.4.5 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य

• जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश तैयार करना एवं उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जमा करना। • प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों का बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन की गतिविधियों का समन्वय करना	• जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन हेतु, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना • जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और निपटान हेतु नई तकनीकों के लिए मानक निर्धारित करना और अपशिष्ट उपचार के लिए विनिर्देशों को निर्धारित करना
• देश में अपशिष्ट के उपचार हेतु सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित करें • प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पर आंकड़ों की समीक्षा और विश्लेषण करना तथा संकलित जानकारी को अपनी टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जमा करना।	• प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जैव–चिकित्सा अपशिष्ट पर आंकड़ों की समीक्षा और विश्लेषण करना तथा संकलित जानकारी को अपनी टिप्पणियों के साथ वार्षिक रिपोर्ट के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जमा करना। • सशस्त्र बलों के महानिदेशक द्वारा संचालित स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की देखभाल करना तथा इन सुविधाओं का निरीक्षण और निगरानी करना • जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में अनुसंधान या परिचालन का समर्थन करना

4.4.6 नगरपालिक/नगर निगम/अर्बन लोकल बॉडी/ग्राम पंचायत के कर्तव्य

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के विकास के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करना या आवंटित करना।	• स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 या समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसार अन्य ठोस अपशिष्ट (बायोमेडिकल के अलावा) एकत्रित करना। • इन नियमों के तहत निर्धारित कोई अन्य कार्य।

4.4.7 रक्षा मंत्रालय के कर्तव्य

• आर्म्ड फोर्स स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं या सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्रों का प्राधिकरण एवं नवीनिकरण करना • जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन एवं निस्तारण हेतु आर्म्ड फोर्स स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं या उपचार सुविधा केंद्रों में अपशिष्ट हस्तांतरण के लिए प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना	• आर्म्ड फोर्स अधिभोगियों या उपचार सुविधा केंद्रों से उत्पादित बायोमेडिकल अपशिष्ट की सूची का प्रकाशन करना • नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना। • सलाहकार समिति के माध्यम से आर्म्ड फोर्स स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं में जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन की समीक्षा करना • नियत समय अवधि के भीतर केंद्रीय प्रदूषण के लिए वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना

कार्यकलाप

अपने शहर में उपस्तिथ सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करिये

4.5 बोध प्रश्न 1

नोटः क) नीचे दिए गए स्थानों पर अपने उत्तर लिखें।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से तुलना करें।

1) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इस प्रावधान में आने वाले मुख्य स्टेकहोल्डर्स कौन-कौन हैं?

.....

.....

.....

2) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के लिए आवेदन किन स्टेकहोल्डर्स पर लागू होता है?

.....

.....

.....

3) उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए

.....

.....

.....

.....

4) सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र के क्या कर्तव्य है?

.....

.....

.....

.....

4.6 उपचार एवं निस्तारण

- यदि सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र 75 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है तो कोई भी अधिभोगकर्ता ऑन-साईट उपचार और निस्तारण सुविधा की स्थापना नहीं करेगा।
- जहां सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑक्यूपायर्स आवश्यक बायो-मेडिकल अपशिष्ट उपचार उपकरण जैसे कि इंसीनरेटर, आटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर स्थापित कर सकता है लेकिन इसके संचालन शुरू करने अधिभोक्ता को निर्धारित प्राधिकरण से प्राधिकार लेना आवश्यक है

4.7 पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन एवं संग्रहण

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को उपचार विकल्पों के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- अनुपचारित मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु शारीरिक अपशिष्ट, सोइलेंड अपशिष्ट और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट को अड़तालीस घंटों की अवधि से अधिक संग्रहीत नहीं किया जाएगा
- ऐसी किसी भी कारण से इस तरह के अपशिष्ट को स्टोर करने की आवश्यकता होती है तो, इस अवधि में, अधिभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे और इसकी सूचना कारणों के साथ एसपीसीबी को देगा।

4.8 प्राधिकरण

(1) नॉन-बेडेड वाली स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं के लिए एक बार प्राधिकरण। बेडेड स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं की प्राधिकरण की प्राधिकृत करने की वैधता को कंसेंट आर्डर की वैधता से सिंक्रनाइज किया जाना अनिवार्य है।

(2) निर्धारित प्राधिकरण द्वारा नवीनीकरण से इनकार करने, रद्द करने या प्राधिकरण के निलंबन के मामले में, कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे : बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकरण के इस तरह के इनकार से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर देगा।

(3) प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा, जिसमें विफल होना यह माना जाएगा कि प्राधिकरण इन नियमों के तहत दी गई है।

(4) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन में किसी भी परिवर्तन के लिए, हैंडलिंग, उपचार और निपटान के लिए

जो प्राधिकरण लेने के समय प्रदान किया गया था, उसमे किसी भी प्रकार के परिवर्तन या भिन्नता के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करेगा और प्राधिकरण की शर्तों में संशोधन के लिए प्रपत्र II में एक नया आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.9 एडवाइसरी समिति

- प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश उस प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के प्रतिनिधित्व में एक सलाहकार समिति का गठन करेगा जो संबंधित राज्य में नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी इस सलाहकार समिति में प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा : स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, शहरी स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय या नगर निगम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र और गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि
- रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (रक्षा) की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन करेगा। जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज या कमांड अस्पताल के प्रतिनिधि होंगे

4.10 इंसीनिरेटर (भस्मक) से उत्सर्जन के मानक

- इंसीनरेटर के उत्सर्जन में एसपीएम 50 मिलीग्राम/एनएम 3
- इंसीनेटरों के माध्यमिक कक्ष में रेजिडेंस टाइम 2 सेकंड
- डाइऑक्सिन और फ्यूरान के लिए मानक निर्धारित हैं- 0-1ngTEQ/Nm3 (11%पर) 02)
- Hg (पारा) और इसके यौगिक-0.05

- स्टैक ऊँचाई: न्यूनतम स्टैक की ऊँचाई जमीन से 30 मीटर ऊपर होगी और इसके साथ मॉनिटरिंग फेसिलिटी जुड़ी होगी जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार उत्सर्जन विनियमन भाग-3 के बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार मॉनिटरिंग के जनरल पैरामीटर अनुसार होनी चाहिए।

4.11 सार्वजनिक जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा केंद्र के लिए साइट

राज्य सरकार में आम बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने के लिए भूमि आवंटन का काम करने वाला विभाग जिम्मेदार होगा

4.12 कार्यान्वयन की निगरानी

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य के स्वास्थ्य सचिवों और सी पी सी बी और एस पी सी बी के माध्यम से वर्ष में एक बार देश में नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।
- राज्य सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी।
- जिला स्तरीय निगरानी समिति आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट छह महीने में एक बार राज्य सलाहकार समिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
- जिला स्तरीय निगरानी समिति में जिला चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एसपीसीबी के प्रतिनिधि शामिल होंगे
- जिला स्तरीय निगरानी समिति में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकाय या नगर निगम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा पंजीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ, जिला चिकित्सा अधिकारी के सदस्य सचिव होंगे।

4.13 जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियमों में संशोधन

बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 1 2016 में निम्न प्रकार के परिवर्तन किये गए है :

- टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, सर्जिकल शिविर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा गतिविधि को शामिल को नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है
- दो साल के भीतर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक की थैलियों, दस्ताने और रक्त के थैलों का उपयोग में रोक
- WHO अथवा NACO द्वारा निर्धारित तरीके से उत्पादन के स्थान पर ही प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवविज्ञानी अपशिष्ट, रक्त के नमूने और रक्त बैग का विसंक्रमण

- अपने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और नियमित रूप से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण करना
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु उपयोग किये हुए बैग या कंटेनर के लिए बार-कोड प्रणाली स्थापित करना
- प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करें, दो साल के भीतर इंसीनिरेटर के द्वितीयक कक्ष और डाइऑक्सिन और फियूरऑन के लिए प्रतिधारण समय हेतु मानकों को प्राप्त करना आवश्यक है
- स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को बेहतर बनाने के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,
- प्राधिकरण को सुविधाजनक बनाया गया है। बेडेड अस्पतालों के लिए आटोमेटिक प्राधिकरण को पारित किया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए प्राधिकरण की वैधता को इनके कंसेंट आर्डर के साथ समकालिक किया गया है । नॉन-बेडेड स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक बार प्राधिकरण की प्रक्रिया की गयी है।
- 2016, नियम पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इंसीनिरेटर के लिए कड़े मानकों को निर्धारित किया गया है, इनमें डाइऑक्सिन और फ्यूरान के लिए उत्सर्जन सीमा को भी शामिल किया गया है।
- राज्य सरकार सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करेगा
- यदि पचहत्तर किलोमीटर की दूरी पर सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा' की सेवा उपलब्ध है, तो कोई भी अधिभोगकर्ता ऑन-साइट उपचार और निपटान की सुविधा स्थापित नहीं करेगा
- सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के संचालक को एचसीएफ से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के संचालन में एचसीएफ की सहायता करना आवश्यक है

4.14 बोध प्रश्न 2

नोटः क) नीचे दिए गए स्थानों पर अपने उत्तर लिखें।
ख) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से तुलना करें।

1) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 में क्या क्या संशोधन किये गए है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार एवं निस्तारण किस प्रकार करना चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

3) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, इंसीनिरेटर (भस्मक) से उत्सर्जन के क्या मानक हैं?

.....

.....

.....

4.15 सारांश

- मनुष्य या जानवरों के रोगों का पता लगाने, उपचार अथवा टीकाकरण या अनुसन्धान गतिविधियों के दौरान अथवा बायोलॉजिकल के उत्पादन अथवा परीक्षण के दौरान अथवा स्वास्थ्य शिविर से निकलने वाला अपशिष्ट बायोमेडिकल अपशिष्ट कहलाता है
- 28 मार्च 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को उपचार विकल्पों के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- यदि सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र 75 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है तो कोई भी अधिभोगकर्ता ऑन-साईट उपचार और निस्तारण सुविधा की स्थापना नहीं करेगा।
- प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश उस प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के प्रतिनिधित्व में एक सलाहकार समिति का गठन करेगा

4.16 प्रमुख शब्द

- बायोमेडिकल अपशिष्ट : मनुष्य या जानवरों के रोगों का पता लगाने, उपचार अथवा टीकाकरण या अनुसन्धान गतिविधियों के दौरान अथवा बायोलॉजिकल के उत्पादन अथवा परीक्षण के दौरान अथवा स्वास्थ्य शिविर से निकलने वाला अपशिष्ट
- बायोमेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016: बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- अधिभोगी (ऑक्युपायर): संस्थान और परिसर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला एक व्यक्ति जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, पशु चिकित्सा संस्थान, पशु घर, पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और नैदानिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

- ऑपरेटर : व्यक्ति जो सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को नियंत्रित करता है तथा संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान या किसी भी रूप में बायोमेडिकल अपशिष्ट का हस्तांतरण करता है
- निर्धारित प्राधिकरण : उस प्रदेश का प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- प्रदूषण नियंत्रण समिति : उस केंद्रशाषित प्रदेश का प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण समिति
- उपचार एवं सुविधा केंद्र : सुविधा केंद्र जहाँ बायोमेडिकल अपशिष्ट का उपचार एवं निस्तारण होता है, इसमें सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र भी शामिल है

4.17 संदर्भ और सुझाव रीडिंग

Ministry of Environment Forest and Climate Change, Notification, New Delhi, 28th March, 2016

https://cpcb-nic-inèrules-3/

Central Pollution Control Board] Guidelines for handling of Biomedical Waste for Utilisation ¼https://cpcb-nic-in/technical-guidelines-2/

Swachh Bharat Mission: Municipal Solid Waste Management Manual

Toolkit Biomedical Waste Management Rules] 2016, 1st edition, June, 2019 ¼https://cpcb-nic-in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/Toolkit_BMW-pdf½

http://vikaspedia-in/energy/environment/waste-management/bio-medical- waste-management/bio-medical-waste-management-rules#section-1

4.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले मुख्य स्टेकहोल्डर्स

उपभोक्ता- अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशुचिकित्सालय, एनीमल हाउस, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, क्लीनिकल संस्थाएं, शोध अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, हेल्थ कैम्प्स, मेडिकल अथवा सर्जिकल शिविर, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, स्कूल में प्राथमिक उपचार कक्ष, न्यायिक चिकित्सा (फॉरेंसिक) प्रयोगशाला एवं शोध प्रयोगशाला

संचालक- सामूहिक अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र-एकत्रण, ग्रहण, संग्रहण, परिवहन, निस्तारण एवं किसी अन्य प्रकार से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तांतरण

निर्धारित प्राधिकरण- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पशुपालन एवं डेरी मंत्रालय/विभाग, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रादेशिक एवं केंद्र शाषित स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत

2) ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होते हैं जो अपशिष्ट को उत्पादित, ग्रहण, एकत्रित, परिवहन, उपचार, निस्तारण अथवा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हस्तारण

करने वाले कोई भी संस्था, अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पशुचिकित्सालय, एनीमल हाउस, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, आयुष अस्पताल, क्लीनिकल संस्थाएं, शोध अथवा प्रशिक्षण संस्थाएं, हेल्थ कैम्प्स, मेडिकल अथवा सर्जिकल शिविर, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, स्कूल में प्राथमिक उपचार कक्ष, न्यायिक चिकित्सा (फॉरेंसिक) प्रयोगशाला एवं शोध प्रयोगशाला

3) उपभोक्ता के मुख्य कर्तव्य निम्न प्रकार है :

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन
- अपशिष्ट का एकत्रण
- स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा
- बार कोडिंग
- वेस्टवाटर का प्रबंधन
- मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं डाटा कलेक्शन
- उत्सर्जन की निगरानी एवं निवारण

4) सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र के मुख्य कर्तव्य निम्न प्रकार है:

- अपशिष्ट का मार्ग का निर्धारण
- बार कोडिंग
- प्रशिक्षण
- स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा
- अपशिष्ट का उपचार
- रिकॉर्ड मेंटेन

बोध प्रश्न 2

(1) बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निम्न प्रकार के परिवर्तन किये गए है:

- टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, सर्जिकल शिविर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा गतिविधि को शामिल को नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है
- दो साल के भीतर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक की थैलियों, दस्ताने और रक्त के थैलों का उपयोग में रोक
- WHO अथवा NACO द्वारा निर्धारित तरीके से उत्पादन के स्थान पर ही प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवविज्ञानी अपशिष्ट, रक्त के नमूने और रक्त बैग का विसंक्रमण
- अपने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और नियमित रूप से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण करना

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु उपयोग किये हुए बैग या कंटेनर के लिए बार-कोड प्रणाली स्थापित करनाय
- प्रमुख दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करें, दो साल के भीतर इंसीनिरेटर के द्वितीयक कक्ष और डाइऑक्सिन और फियूरऑन के लिए प्रतिधारण समय हेतु मानकों को प्राप्त करना आवश्यक है।
- स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को बेहतर बनाने के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- प्राधिकरण को सुविधाजनक बनाया गया है। बेडेड अस्पतालों के लिए आटोमेटिक प्राधिकरण को पारित किया गया है। इन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए प्राधिकरण की वैधता को इनके कंसेंट आर्डर के साथ समकालिक किया गया है। नॉन-बेडेड स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक बार प्राधिकरण की प्रक्रिया की गयी है।
- 2016 नियम पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इंसीनिरेटर के लिए कड़े मानकों को निर्धारित किया गया है, इनमे डाइऑक्सिन और फ्यूरान के लिए उत्सर्जन सीमा को भी शामिल किया गया है।
- राज्य सरकार सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करेगा।
- यदि पचहत्तर किलोमीटर की दूरी पर सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा' की सेवा उपलब्ध है, तो कोई भी अधिभोगकर्ता ऑन-साइट उपचार और निपटान की सुविधा स्थापित नहीं करेगा।
- सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के संचालक को एचसीएफ से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के संचालन में एचसीएफ की सहायता करना आवश्यक है।

(2) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार एवं निस्तारण निम्न प्रकार करना चाहिए?

- यदि सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र 75 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है तो कोई भी अधिभोगकर्ता ऑन-साईट उपचार और निस्तारण सुविधा की स्थापना नहीं करेगा।
- जहां सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑक्यूपायर्स आवश्यक बायो-मेडिकल अपशिष्ट उपचार उपकरण जैसे कि इंसीनरेटर, आटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर स्थापित कर सकता है लेकिन इसके संचालन शुरू करने अधिभोक्ता को निर्धारित प्राधिकरण से प्राधिकार लेना आवश्यक है

(3) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, इंसीनिरेटर (भस्मक) से उत्सर्जन के क्या मानक निम्न प्रकार हैं :

- इंसीनरेटर के उत्सर्जन में एसपीएम 50 मिलीग्राम/एनएम 3

- इंसीनेटरों के माध्यमिक कक्ष में रेजिडेंस टाइम 2 सेकंड
- डाइऑक्सिन और फ्यूरान के लिए मानक निर्धारित हैं- 0-1ngTEQ\Nm3 (11% पर) O_2)
- Hg (पारा) और इसके यौगिक-0.05
- स्टैक ऊँचाईः न्यूनतम स्टैक की ऊँचाई जमीन से 30 मीटर ऊपर होगी और इसके साथ मॉनिटरिंग फेसिलिटी जुड़ी होगी जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार उत्सर्जन विनियमन भाग-3 के बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार मॉनिटरिंग के जनरल पैरामीटर अनुसार होनी चाहिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY